न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
बईजलास –पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या–142/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नंम्बर–2022/168

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्टस्
बशीर खां पुत्र हिसामखां जाति सिपाही मुसलमान उम्र 71 वर्ष निवासी हड्डीपुरा काला पानी, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर, राज0 आधार कार्ड नं. 357836519253 मो.नं. 7013427230		मोहम्मद आमीन पुत्र बशीरखां जाति सिपाही मुसलमान निवासी हड्डीपुरा काला पानी, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर।

निर्णय **दिनांक** 30.8.2022

1–अपीलान्ट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रार्थना पत्र संख्या–03/2021 बशीर खां बनाम मोहम्मद आमीन में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2022 से व्यथित होकर दिनांक 02.05.2022 को यह अपील मय मयाद प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के पेश की है। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2– अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। मयाद प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि आदेश जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हो सकी थी, हाल ही में अपीलान्ट ने पता किया तो जानकारी हुई कि आदेश जैर अपील दिनांक 08.03.2022 को पारित कर दिया, जिसकी प्रमाणित प्रतियां दिनांक 12.04.2022 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात अपीलान्ट सख्त बीमार हो गया एवं स्वास्थ्य में सुधार होने पर नागौर आकर अपील तैयार करवा कर दिनांक 02.05.2022 पेश की है, जिससे देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपीलान्ट ने न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के संबंध में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायहित में मेरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित होने से प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3–अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता में एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 23 सपठित धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट का जायंदा पुत्र है इसके अलावा एक अन्य पुत्र मोहम्मद कलाम है प्रार्थी ने दोनो पुत्रो का विवाह कर दिया, मो. कलाम की शादी के समय व उनकी पत्नीयो को हैसियत के अनुसार सोने व चांदी के गहने बनाकर दिये थे। अपीलान्ट ने अपनी निजी कमाई से एक प्लोट मुस्तफा पुत्र घीसे खां सिपाही निवासी मेड़ता से हरिजन बस्ती हड्डीपुरा मौहल्ला में तीन हजार रूपये में दिनांक 20.06.1983 को खरीद किया था, जिसका बेचान अपीलान्ट ने अपने नाबालिग पुत्र मोहम्मद कलाम उम्र 2 वर्ष का था तब पंजियन करवाया, उसके बाद में अपीलान्ट ने अपने खरीदसुदा प्लोट पर मकान अपनी निजी कमाई से बनवाया था, जिसके नाप चोप व पडौस का विवरण दर्ज किया व निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा मकान बनाने के बाद अपीलान्ट, अपीलान्ट की पत्नी, रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट का अन्य पुत्र मोहम्मद कलाम एक साथ रहते थे फिर अपीलान्ट के दोनो पुत्र अपीलान्ट से अलग हो गये जिस पर अपीलान्ट के पुत्र रेस्पोडेन्ट मो. आमीन व मो. कलाम को दोनो तरफ के मकान बंट में दिये व बीच का मकान अपीलान्ट के बंट में रखा था, उसके बाद में रेस्पोडेन्ट मो. आमीन व मो. कलाम ने अपने बंट के मकानो को बेचान कर दिये, मो. कलाम अन्यत्र रहने लग गया व अपीलान्ट का पुत्र मो. कलाम जो अपीलान्ट का मकान जो बीच का हिस्सा था, उसे बेचान करने में लगा

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

तब अपीलान्ट ने अपने स्वयं के द्वारा अपने नाबालिग पुत्र मो. कलाम के नाम से खरीदसुदा मकान का बेचान अपनी पत्नी शकीला बानो व रेस्पोडेन्ट मो. आमीन के नाम से दिनांक 16.5.2013 को पंजियन करवा लिया जिसका सारा खर्चा अपीलान्ट ने वहन किया था, उसके बाद अपीलान्ट का पुत्र रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को तंग परेशान करने लग गया तब अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को उपर का मकान रहने के लिए दे दिया, नीचे के मकान में अपीलान्ट व उसकी पत्नी रहने लग गये, उसके बाद रेस्पोडेन्ट मो. आमीन ने हर रोज अपीलान्ट से झगड़ा करता व परेशान करता, जिससे अपीलान्ट किराये पर मकान लेकर रहने लगा, फिर भी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को परेशान कर रहा व तरह तरह की अपराधिक वारदाते करने लगा, धमकियां देकर भयभीत करने लगा, अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को उसके मकान से बेदखल कर दिया, जिस मकान के पडौस उतर में सायरा बानो पत्नी रूस्तम अली सिपाही का मकान, दक्षिण में चांदबानो पत्नी जाकिर हुसैन चुड़ीघर का मकान, पूर्व में–मुमताज चुड़ीघर का मकान, पश्चिम में निकाल व रास्ता है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट उक्त मकान में नहीं रहने देता है, रेस्पोडेन्ट को जो मकान बंट में दिया उसका रेस्पोडेन्ट ने बेचान कर दिया व अपीलान्ट का उक्त मकान हड़पना चाहता है न ही भरण पोषण राशि दे रहा है, मारपीट करता है इसलिए अन्त में अनुतोष चाहा कि अपीलान्ट को उसकी निजी स्वामित्व की सम्पति मकान जो मूल आवेदन के पैरा संख्या 5 में वर्णित है, से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करावे व मकान का कब्जा रेस्पोडेन्ट से अपीलान्ट को दिलाया जावे व प्रकरण के निस्तारण तक अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट से प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से प्रतिमाह 3000रू. भरण पोषण दिलाया जाने का आदेश फरमावे, मकान का कब्जा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती की दिनांक से प्रतिमाह 5000रू. दिलाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया । तत्पश्चात विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेडता ने दिनांक 08.03.2021 को आदेश पारित कर धारा 23 सपठित धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अध्याय 2 की धारा 9(1) के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट 2500रू. प्रतिमाह अपीलान्ट को भरण पोषण हेतु संदाय करने, रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के बैंक के बचत खाता में प्रत्येक माह 25000रू. जमा कराने, आदेश की अवहेलना करने पर अधिनियम की धारा 6 की धारा 24के अन्तर्गत तीन माह का साधारण कारावास अथवा रूपये 5000/–अथवा दोनो से दण्डनीय होगा एवं आदेश दिनांक 8.3.2021 से प्रभावी होने एवं रेस्पोडेन्ट 2500रू. अपीलान्ट के बचत खाता में जमा करवाने का आदेश पारित किया है। विद्वान अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने अपीलान्ट द्वारा वांछित अनुतोष बाबत मकान का कब्जा दिलाने, बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है जबकि अपीलान्ट के निवास की विकट समस्या बनी हुई है मकान अपीलान्ट का खरीदसुदा जायगा पर अपीलान्ट द्वारा ही बनवाया हुआ है फिर भी रहवास की समस्या बाबत तथ्य पत्रावली पर आने के बावजूद अपीलान्ट के मकान में रहवास की व्यवस्था बाबत किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है इस कारण उक्त आदेश अपूर्ण होने से आंशिक आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3(1)–अपीलान्ट अत्यंत वृद्व बीमार व्यक्ति है उसकी सम्पति मकान से उसे बेदखल कर रेस्पोडेन्ट नाजायज कब्जा किया हुआ है अपीलान्ट का पेट पालना ही मुश्किल हो रखा है तो ऐसी स्थिति में किराये पर रह कर जीवनयापन करना दुभर हो गया है जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपने बंट का मकान बेच दिया व अब अपीलान्ट के बंट कब्जा स्वामित्व के मकान पर नाजायज काबिज हो रखा है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा अपीलान्ट को दिलवाया जाना आवश्यक होते हुऐ भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने रहवास/मकान बाबत किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर अपूर्ण आदेश पारित करने से अपीलान्ट के वहीं समस्या आज दिन मौजूद है जिससे आदेश जैर अपील हस्तक्षेप/निरस्त/अपास्त/संशोधित किये जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार की जाकर भरण पोषण भत्ता भी 3000रू. प्रतिमाह दिलाने व उक्त मकान से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर अपीलान्ट को काबिज करवाने हेतु उचित आज्ञा/आदेश पारित करना आवश्यक व न्याय संगत है इस हेतु यह अपील पेश की है।

3(2)–अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में जो आवेदन पेश किया उसमें भरण पोषण भत्ता के अलावा मुख्य रूप से अनुतोष अपीलान्ट के मकान का कब्जा दिलाने व मकान में निवास करने में रेस्पोडेन्ट को दखल करने से रोकने आदि का चाहा गया था लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के मकान में अपीलान्ट को निवास करवाने की व्यवस्था बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है जिससे आदेश जैर अपील अपूर्ण है। रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के मकान को नाजायज रूप से खुर्द बुर्द व फर्जी तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलीय क्षेत्राधिकार के जरिये आदेश में वांछित संशोधन कर अपीलान्ट के मकान का कब्जा रेस्पोडेन्ट से दिलवाने हेतु आदेश पारित किया जाना प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

3(3)–अपीलान्ट ने आवेदन में 3000रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता की मांग की थी, वर्तमान में मंहगाई को देखते हुऐ 3000रू. बहुत कम राशि है इसके बावजूद 2500रू. ही दिलवाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है जिससे उसमें भी संशोधन कर 3000रू. प्रतिमाह दिलवाने का आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(4)–रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील की पालना में कोई राशि अदा नहीं की है। रेस्पोडेन्ट अपराधिक पृष्ठभूमि वाला है अपने पिता अपीलान्ट के साथ लगातार मारपीट करता रहा है व पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण भी दर्ज करवाये गये है मगर फिर भी वह अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहा है का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाकर रेस्पोडेन्ट को प्रतिमाह 3000रू. अपीलान्ट को गुजारा भत्ता अदा करने का आदेश प्रदान करने व अपीलान्ट के मकान से उसे बेदखल किया हुआ कारण अपीलान्ट को अपने उक्त मकान का कब्जा दिलवाया जाकर उसके निवास में दखल नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबंद करने एवं विकल्प में इस हेतु उचित निर्देश के साथ पत्रावली अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेडता को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया है।

4–अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट ने मकान का कब्जा दिलाने एवं 3000/–रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता दिलाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा मकान के संबंध में बेचाननामा थाला दिनांक 20.06.83 एवं बख्शीशनामा अचल सम्पति थाला दिनांक 16.05.13 जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध के अवलोकन से मकान का कब्जा अपीलान्ट को दिलवाया जाना उचित नहीं है। जहां तक अपीलान्ट को भरण पोषण राशि 3000/–रूपये दिलाये जाने का अपीलान्ट का कथन उचित प्रतीत होता है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 08.03.2022 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट को 3000/–रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये) प्रतिमाह अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु संदाय करने तथा उक्त राशि अपीलान्ट के बचत खाता में प्रतिमाह जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश दिनांक 01.08.2022 से प्रभावी होगा तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 08.03.2022, दिनांक 31.07.2022 तक प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रकरण के पक्षकारान को निशुल्क रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

6–निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर